

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....3670

प्रेषक,

सुहर्ष भगत, भा० प्र० से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,

पटना/बक्सर/ सारण (छपरा)/मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर/दरभंगा/
गया जी/वैशाली (हाजीपुर)/पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/
भोजपुर (आरा)/औरंगाबाद/गोपालगंज/ भागलपुर/कैमूर(भभूआ)/
सिवान/मधुबनी/रोहतास/नवादा/बाँका/शिवहर/सहरसा/बेगूसराय/
लखीसराय/जहानाबाद/अरवल/किशनगंज/
अररिया/कटिहार/सीतामढ़ी/सुपौल/मधेपुरा/जमुई/शेखपुरा/
नालन्दा/पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/पूर्णिया/खगड़िया/मुंगेर

पटना दिनांक :- 23/10/24

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा
बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय व्यय मद
में कुल 19,00,000/- (उन्नीस लाख) रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता
है :-

क्र०स०	कार्यालय का नाम	13 01 कार्यालय व्यय
1	2	3
1	बन्दोबस्त कार्यालय, पटना	50000
2	बन्दोबस्त कार्यालय, बक्सर	50000
3	बन्दोबस्त कार्यालय, सारण (छपरा)	50000
4	बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर	50000
5	बन्दोबस्त कार्यालय, समस्तीपुर	50000
6	बन्दोबस्त कार्यालय, दरभंगा	50000
7	बन्दोबस्त कार्यालय, गया जी	50000

क्र0स0	कार्यालय का नाम	13 01 कार्यालय व्यय
1	2	3
8	बन्दोबस्त कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)	50000
9	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	50000
10	बन्दोबस्त कार्यालय, भोजपुर (आरा)	50000
11	बन्दोबस्त कार्यालय, औरंगाबाद	50000
12	बन्दोबस्त कार्यालय, गोपालगंज	50000
13	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	50000
14	बन्दोबस्त कार्यालय, कैमूर	50000
15	बन्दोबस्त कार्यालय, सिवान	50000
16	बन्दोबस्त कार्यालय, मधुबनी	50000
17	बन्दोबस्त कार्यालय, रोहतास	50000
18	बन्दोबस्त कार्यालय, नवादा	50000
19	बन्दोबस्त कार्यालय, बाँका	50000
20	बन्दोबस्त कार्यालय, शिवहर	50000
21	बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा	50000
22	बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय	50000
23	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	50000
24	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद	50000
25	बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल	50000
26	बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज	50000
27	बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया	50000
28	बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार	50000
29	बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	50000
30	बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल	50000
31	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	50000
32	बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई	50000
33	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	50000
34	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा	50000
35	बन्दोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण (बेतिया)	50000

क्र0स0	कार्यालय का नाम	13 01 कार्यालय व्यय
1	2	3
36	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ	50000
37	बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया	50000
38	बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर	50000
कुल योग :-		1900000

(उन्नीस लाख) रुपये

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 706 दिनांक 26.02.2026 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड **40- 2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

(सुहर्ष भगत)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....³⁶⁷⁰पटना, दिनांक ^{23/10/26}
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक ^{23/10/26}

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....³⁶⁷⁰पटना, दिनांक ^{23/10/26}
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0)/प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक ^{23/10/26}

भू-अभिलेख एवं परिमाण